

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठारीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 86/25

गिरवरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
वादी

बनाम

1. मालसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
2. बलवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
3. विनोदकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
4. मंजूकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
5. राजूसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
6. विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
7. सुबीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।


उपस्थित :-


1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

—: निर्णय :—

दिनांक:- 19-6-2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 287, 301, 372, 648, 78 तादादी क्रमशः 1.1508, 14.9481, 10.3700, 6.5761, 5.2736 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 38.3186 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का खान-पान, लेन-देन सब अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 25.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेगा तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगा, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काशत में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काशत, उपयोग, उपभोग की होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ऐलानीयां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। खातेदार केलकंवर का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद में परोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने दौरान बहस दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को राजीनामा अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।





उपखण्ड अधिकारी
बीदासर


वकुलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए हैं उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकार राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते हैं जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः पक्षकारों का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बम्बू खसरा संख्या 287 रकबा 1.1508 हेक्टेयर भूमि बलवीरसिंह, विनोदकंवर, मंजूकंवर पिता भंवरसिंह बहिब व खसरा संख्या 372 रकबा 10.3700 हेक्टेयर भूमि मालसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम व खसरा संख्या 648 रकबा 6.5761 हेक्टेयर भूमि गिरवरसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम व खसरा संख्या 78 रकबा 5.2736 हेक्टेयर में से पश्चिमी साईड की 2.6368 हेक्टेयर भूमि विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम व पूर्वी साईड की 2.6368 हेक्टेयर भूमि सुबीरसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम व खसरा संख्या 301 रकबा 14.9481 हेक्टेयर में से दक्षिणी पूर्वी साईड की 8.2455 हेक्टेयर भूमि बलवीरसिंह, विनोदकंवर, मंजूकंवर पिता भंवरसिंह बहिब व दक्षिणी पश्चिमी कोने की 1.0117 हेक्टेयर भूमि राजुसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम व राजुसिंह के चिपती उतरी साईड की 2.2763 हेक्टेयर भूमि गिरवरसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम व उतरी पूर्वी कोने की 2.1500 हेक्टेयर भूमि राजुसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम व राजुसिंह के चिपती पश्चिमी साईड में उतरी साईड की 0.6323 हेक्टेयर भूमि सुबीरसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम व सुबीरसिंह के चिपती दक्षिणी साईड की 0.6323 हेक्टेयर भूमि विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम अलग-अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। सलंगन नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। खातेदार केलकंवर का नाम हटाया जावे। इस हेतु अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19-6-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)